शोध सारांश

समाज विज्ञान की यह सामान्य उपकल्पना है कि परम्परागत समाज जैसे–जैसे आधुनिक होता जाता है, वैसे–वैसे सदस्यों की भूमिकाएं बदलती जाती हैं। भारतीय शिक्षित महिलाओं की भूमिका भी आधुनिकीकरण एवं विकास के साथ बदल रही है और समायोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है।

वर्तमान अध्ययन इस आवश्यकता अनुभूति का एक प्रयास है कि महिला पुलिस सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जीवन–शैली एवं व्यवहार प्रतिमान के एक नितान्त नवीन प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करती हैं।

वर्तमान अध्ययन का आयोजन उ0प्र0 पुलिसकर्मियों की कार्य द ाएं एवं समस्याएं का समाज वैज्ञानिक अध्ययन वाराणसी एवं मिर्जापुर (विन्ध्याचल) मण्डल पर आधारित है। अध्ययन की आधारभूत मान्यता यह है कि –

1. पारिवारिक संरचना में स्त्रियों की भूमिका प्रस्थिति का केन्द्रीय स्थान होता है। यदि उनकी भूमिका प्रस्थिति में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव परिवार, पारिवारिक संरचना पर पड़ता है। यह परिवर्तन परिवार की लघु इकाई (मीक्रोस्तर) में होता है। जब बहुत से परिवारों में स्त्रियों की भूमिका के सन्दर्भ में परिवर्तन आने लगते हैं तो वे सामाजिक परिवर्तन की प्रवृति का परिचायक होते हैं। इस वर्तमान भारतीय समाज में स्त्रियों की ि ाक्षा और समानता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं जैसे

   अ. स्त्रियों का कार्योजित होना।

ब. कार्योजित महिलाओं का नगरों में रहना।

स. स्त्रियों का आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होना और पारिवारिक निर्णय में महत्वपूर्ण भाग लेना।

द. अन्तर्जातीय एवं प्रेम विवाह का होना।

य. वैवाहिक एंव पारिवारिक सदस्यों द्वारा जीवन के प्रति पति, बच्चों और अन्य सदस्यों द्वारा समायोजन।

उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के कार्योजन के परिणामों को देखा जा सकता है। वर्तमान अध्ययन में इस बात का प्रयास किया गया है कि महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन से उत्पन्न समायोजन की समस्याओं को निम्नलिखित दो स्तरों के सन्दर्भ में देखा जाय।

अ. कार्योजन और कार्योजन स्थल से समायोजन की समस्या।

ब. कार्योजन से उत्पन्न वैवाहिक एवं पारिवारिक समायोजन की समस्याएं।

यह जानने का भी प्रयास किया गया है कि बावदूद कठिनाइयों के वह कौन सा सामाजिक कारण है जिनके कारण महिला पुलिस कर्मी कार्योजन में लगी हैं। आंकड़ों एवं वैयक्तिक इतिहास के आधार पर यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन से किस प्रकार पारिवारिक एंव वैवाहिक जीवन की भौली बदल रही है। इन सभी पक्षों के मिले–जुले स्वरूप को हमने समाज वैज्ञानिक अध्ययन की संज्ञा दी है।

2. महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजित होने से पारम्परिक पारिवारिक प्रणाली में परिर्वतन हुआ है। कार्योजित महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका प्रस्थिति, घर की चार दीवारी में बने रहने वाली भूमिका प्रस्थिति से भिन्न हुई है। महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन से उत्पन्न पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की समस्याओं से समायोजन की जो नई भौली उत्पन्न हो रही है, उससे सामाजिक परिविर्तन का बोध होता है।

महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन का प्रमुख कारण आर्थिक दबाव है, परन्तु ि ाक्षा समानता और आधुनिकीकरण की चेतना महिला पुलिस को कार्योजन के लिए प्रेरित करती हैं। महिला पुलिस कर्मियों के कार्य और परिवार में संघर्श की स्थिति भी रहती है। इन सभी वातों को ध्यान में रखते हुए हम एक कार्यकारी उपकल्पना बनाकर चले थे। आधुनिक मनोवृति और आर्थिक दबाव के कारण महिला पुलिस कर्मी कार्योजन में प्रवे ा करती हैं। महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन में प्रवे ा करने से जो पारिवारिक और वैवाहिक समायोजन की समस्याएं उठती हैं उनसे निरन्तर समायोजन और पुनर्समायोजन करने का प्रयास किया जाता है, किन्तु कार्योजन छोड़ने का संकल्प नही किया जाता है। बच्चों की उपेक्षित स्थिति को छोड़कर , कुल मिलाकर महिला पुलिस कर्मी अपने सामाजिक–आर्थिक स्तर, वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन से सन्तुश्ट होगी। उपर्युक्त उपकल्पना का परीक्षण निम्नलिखित के सन्दर्भ में किया गया हैं–

अ. महिला पुलिस कर्मियों का कम्पोजि ान।

ब. महिला पुलिस कर्मियों तथा उनके पति या अभिभावक के आर्थिक स्तर

का वि   लेशण।

स. महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन स्वीकार करने का कारण।

द. महिला पुलिस कर्मियों का कार्योजन सम्बन्धित समस्याओं से अभियोजन।

य. महिला पुलिस कर्मियो को कार्योजन से उत्पन्न वैवाहिक समस्याओं का निरूपण।

र. महिला पुलिस कर्मियों को कार्योजन से उत्पन्न पारिवारिक समस्याओं का निरूपण।

ल. महिला पुलिस कर्मियों के कार्य और परिवार से समायोजन के संरूप वैवाहिक और पारिवारिक समायोजन का वि   लेशण का प्रयास किया गया है।

हमने वाराणसी एवं मिर्जापूर मण्डल में कार्यरत 300 महिला पुलिस कर्मियों को चुना है। जिनमें 12 महिला पुलिस इन्सपेक्टर, 36 महिला पुलिस सब इन्सपेक्टर 45 महिला पुलिस दिवान, 127 महिला पुलिस सिपाही तथा 80 महिला होमगार्ड/चौकीदार है। बहुत सी महिला पुलिस कर्मियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है परन्तु आंकड़ा संकलन में जिन्होने रूचि दिखाई केवल उन्हीं को चुना गया है। अपने पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध में महिला पुलिस कर्मी कुछ नहीं कहना चाहती थी। उन्हें अध्ययन का विशय नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित विधियों से आंकड़ा एकत्रित किया गया है–

1. प्राथमिक श्रोतः–

अ. साक्षाकार अनुसूची

ब. वैयक्तिक इतिहास

2. वैज्ञानिक श्रोतः–

अ. महिलाओं से सम्बधित श्रोत और भाोध–प्रबन्ध

पूर्ववती अध्यायों में महिला पुलिस कर्मियों के कार्यद ााओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित वि लेशण किया गया है। अध्ययन की सुविधा के निमित्त प्राप्त निश्कर्शो का संक्षेपीकरण एवम् सामान्य प्रवृतियों का प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

हमारी पहली प्रमुख प्राकल्पना यह थी कि अधिकां ा महिला पुलिस कर्मी कार्योजन से प्रतिबद्ध हैं और मध्यमवर्गीय सामाजिक–आर्थिक स्तर पर जीवन निर्वाह करती हैं। इसी की पूरक एक और प्राकल्पना यह थी कि महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन ग्रहण करने के प्रेरक कारक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना या संकटकालीन स्थिति का समाधान करना होता है।

महिला पुलिस के कार्योजन से उनकी परम्परागत भूमिका प्रस्थिति में परिवर्तन आया है। यह ऐसा परिवर्तन है जो समाज की अन्य सरहदों को भी छुता है। सबसे अधिक समायोजन की समस्या पारिवारिक इकाई में उत्पन्न हुई है। महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजित भूमिका द्वारा पारिवारिक भूमिकाओं का पुनर्समायोजन हो रहा है। महिला पुलिस कर्मियों की सामाजिक–आर्थिक पृश्ठभूमि मध्यमवर्गीय है। अधिकां ा महिला पुलिस

कर्मी 18 से 30 वर्श (45 प्रति ात) की हैं, जबकि 7.66 प्रति ात महिला पुलिस कर्मी 51 से 60 वर्श के बीच आयु वर्ग की पायी गई हैं सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मी हिन्दू है तथा 56.66 प्रति ात महिला पुलिस पिछड़ी जाति की पाई गई हैं। 16.66 प्रति ात महिला पुलिस कर्मी ईस्लाम घर्म की पायी गई हैं। तथा 20.00 प्रति ात महिला पुलिस ईसाई धर्म की है। सर्वाधिक 36.33 प्रति ात महिला पुलिस विवाहित है। 26.66 प्रति ात अविवाहित तथा 13.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मी तलाक ुदा हैं।

36.66 प्रति ात महिला पुलिस कर्मी इण्टरमीडिएट ि ाक्षा प्राप्त हैं तथा 13.33 प्रति ात महिला पुलिस स्नातकोतर ि ाक्षा प्राप्त हैं। 60.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मी ग्रामीण हैं जबकि 20.00 प्रति ात नगरीय तथा 20.00 प्रति ात अर्द्धनगरीय क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाली महिला पुलिस कार्योजन में है। 65.00 प्रति ात (अधिकां ा) महिला पुलिस कर्मियों के परिवार का स्वरूप एकाकी है तथा 35.00 प्रति ात महिला पुलिस का पारिवारिक स्वरूप संयुक्त है। अधिकां ा महिला (41.00 प्रति ात) पुलिस कर्मियों की मासिक आय 15,000 से 20,000 रूपये के बीच है। 11.66 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों की आय 25,000 रूपये से ऊपर है। अतः महिला पुलिस कर्मियों की आयगत स्थिति मध्यम आय वर्ग को प्रदि ात करती है। कार्योजन के अनुभव एवं सेवा अवधि के अनुसार अधिकां ा (38.33 प्रति ात) महिला पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि पांच वर्श से कम है। तथा 01.66 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों का सेवा काल तीस वर्श से ऊपर है।

महिला पुलिस कर्मियों के सामाजिक – आर्थिक स्तर में अधिक विसंगति नहीं हैं। 30.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियो के परिवार का व्यवसाय कृशि है तथा 20.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के परिवार का व्यवसाय व्यापार है भाशा के आधार पर वि लेशण से यह पता चला कि अधिकां ा (85.00 प्रति ात) महिला पुलिस कर्मियों को हिन्दी एवं उर्दू भाशा का ज्ञान है जबकि 15.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियो को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाशाओं का ज्ञान है।

आंकड़ों से हमारी कार्यकारी उपकल्पना की पुश्टि होती है कि महिला पुलिस कर्मी अपने कार्योजन से प्रतिबद्ध है। कुछ तो संयुक्त परिवार और विवाह के बन्धनों को तोड़ सकती हैं परन्तु नौकरी नहीं छोड़ सकती हैं। सामाजिक–आर्थिक स्तर की दृश्टि से महिला पुलिस कर्मी मध्यमवर्गीय श्रेणी में आती हैं। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियो और उनके पतियों का भी सामाजिक आर्थिक स्तर लगभग समान स्तरीय है। अतः पति एवं पत्नी में समाजिक–आर्थिक स्तर की विसंगति बहुत कम पायी गई है।

हमारी दुसरी प्रमुख उपकल्पना थी कि महिला पुलिस कर्मियों की प्रस्थिति एवं भूमिका का वि लेशण करना कार्योजन की प्रतिश्ठा और स्टेटस के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों का कार्य से सन्तोश का स्तर जुड़ा है। वर्तमान कार्योजन में अधिकां ा 48.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों ने प्रतियोगिता उत्तीर्ण करके नौकरी प्राप्त किया है। अधिकां ा (50.00 प्रति ात) महिला पुलिस कर्मियो ने स्वयं की आर्थिक निर्भरता के

लिए नौकरी की है तथा 3.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों ने आकस्मिक कारणों से कार्योजन को अपनाया है। वर्तमान कार्योजन में 63.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं भोश को नहीं। 40.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के वेतनक्रम सन्तोशजनक है भोश संतोशजनक नहीं मानती हैं। 60.00 प्रति ात महिला पुलिसकर्मियों को पें ान की सुविधाएं प्राप्त है। इस प्रकार कुल मिलाकर महिला पुलिस अपने कार्योजन से सन्तुश्ट पायी गई हैं।

57.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों को 12 घण्टे से ऊपर प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। 16.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों को 8 से 12 घण्टे के बीच तथा 26.66 प्रति ात महिला पुलिस को 8 घण्टे तक कार्य करना पड़ता है। 31.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के पद की प्रकृति स्थायी है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मी (63.33 प्रति ात) किसी निजी परिस्थिति के कारण कार्योजन नहीं छोड़ सकती है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन में आने से सामाजिक प्रतिश्ठा बढ़ी है। तथा अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि वर्तमान कार्योजन से उनका पारिवारिक जीवन सुखमय हुआ है। 28.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन में आने से पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हुआ है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों ने अपने पदोन्नति के लिए जो विभागीय परीक्षा दी हैं उसमें सफल हुई हैं। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों को उनके कार्योजन में विभागीय दण्ड भी प्राप्त हुआ है।

हमारी तीसरी प्रमुख प्राकल्पना यह है कि कार्योजित महिला पुलिस का वैवाहिक जीवन (पति–पत्नी सम्बन्ध) पारिवारिक जीवन (बच्चे और अन्य सगे सम्बन्धियों के साथ) की तुलना में अधिक सामंजस्यपूर्ण है। जैसे–जैसे कार्योजित महिला पुलिस कर्मियों की आयु बढ़ती है वैसे–वैसे वैवाहिक जीवन में समायोजन के स्तर की तुलना में पारिवारिक समायोजन स्तर नहीं बढ़ता है। आंकड़े हमारी कार्यकारी उपकल्पना की पुश्टि करते हैं। आंकड़ों से यह पता चला है कि अधिकां ा 40.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों ने माता–पिता द्वारा संयोजित विवाह किया है। अधिकां ा 41.33 प्रति ात महिला पुलिस भाादी से पूर्व ही कार्योजन में आयी हैं। 20.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों ने अन्तर्जातीय विवाह भी किया है। अधिकां ा 45.33 प्रति ात महिला पुलिस कर्मी रागात्मक असंतोश से पति से दूरी स्वीकार कर सकती है परन्तु नौकरी छोड़ाने को तैयार नहीं है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियो का वैवाहिक समायोजन मध्यम स्तर का है।

कार्योजित महिला पुलिस के कार्योजन के कारण उत्पन्न होने वाली पारिवारिक असुविधाओं से परिवार के सदस्य, वि ोशकर (पति और बच्चे) समायोजन स्थापित करते हैं। वर्तमान अध्याय में ही महिला पुलिस कर्मियों के पति, बच्चे और सगे–सम्बन्धियों को जो कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं, उन पर प्रका ा डाला गया है और यह देखा गया है कि इन कठिनाइयों से कैसे समायोजन स्थापित करते हैं। अधिकां ा (51.66 प्रति ात) महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि वे अपने पति को जितना समय दे पाती

हैं उससे वे सन्तुश्ट हैं। कार्योजित महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि वे अपने बच्चों को जितना समय दे पाती हैं उनमें से केवल 21.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के बच्चे सन्तुश्ट है। अधिकां ा (36.33 प्रति ात) महिला पुलिस कर्मियों के बच्चे अपनी माता से असन्तुश्ट हैं। 26.66 प्रति ात महिला पुलिस अविवाहित हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। इससे यह निश्कर्श निकलता है कि कार्योजित महिला पुलिस कर्मियों के बच्चे असन्तुश्ट हैं और यह असन्तुश्टि स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी बच्चे माता के घर से दुर रहने की धटना से समायोजित है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि कार्योजन में आने के कारण बच्चे स्वावलम्बी हो रहे हैं। कुछ प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों को कश्ट उठाना पड़ रहा है तथा कुछ प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों का विचार है कि बच्चों को कोई कठिनाई नहीं हैं। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनके कार्योजन ग्रहण करने से उनके पति सन्तुश्ट हैं, केवल कुछ के पति असन्तुश्ट पाये गये हैं। 26.66 प्रति ात महिला पुलिस अविवाहित है जिनके ऊपर यह लागू नहीं होता है। महिला पुलिस कर्मियों के ससुराली सम्बन्धी जैसे– सास–ससुर भी उनके कार्योजन से सन्तुश्ट हैं। कुछ महिला पुलिस कर्मियों के सास–ससुर (5.00 प्रति ात) उनके कार्योजन से असन्तुश्ट हैं।

70.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों का विचार परिवार को सीमित रखने के पक्ष में है। अधिकां ा (86.00 प्रति ात) महिला पुलिस कर्मियों को नौकरी करने घर से दूर जाना पड़ता है। 49.33 प्रति ात

पुलिस कर्मियों को कार्य से घर लौटने पर थकावट की अनुभूति होती है। 45.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के पति उनके घरेलू कार्यो में सहभाग नहीं करते हैं। केवल 15.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के पति उनके घरेलू कार्यो में सहभाग करते हैं। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों के पतियों को उनके कार्योजित होने से कोई समस्या नहीं है। अधिकां ा 68.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों को उनके कार्योजन से कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि ये परिवार से अलग हैं। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मी आमदनी में वृद्धि करके अपने वैवाहिक जीवन को सन्तोशप्रद बना रही हैं तथा 17.00 प्रति ात महिला पुलिस आधुनिक व्यवहार एवं विचार के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को सन्तोशप्रद बना रही हैं।

हमारी चौथी प्रमुख प्राकल्पना यह थी कि महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजित होने से उनकी दोहरी भूमिका के कारण परिवार के सदस्यों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही महिला पुलिस कर्मियो को अपने कार्य पालन में बाधाओं एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथा उनके साथ समायोजन करना पड़ता है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों का सम्बन्ध अपने पति के परिवार वालों से संतोशजनक पाया गया है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मियों को घरेलू कार्यो में खाना बनाने की अभिरूचि अधिक हैं अधिकां ा महिला पुलिस भाांपिग मे भी रूचि रखती हैं। 10.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों का मानना है कि कार्योजन से उनके रागात्मक जीवन में प्रेम सम्बन्ध बढ़े है तथा अधिकां ा

महिला पुलिस कर्मियों के अनुसार कार्योजन से उनके प्रेम सम्बन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। महिला पुलिस कर्मियो का पारिवारिक समायोजन मध्यम श्रेणी का है। 10.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों का मत है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उनके कार्योजन से उच्च अधिकारी प्रसन्न नहीं रहते हैं। जबकि 68.00 प्रति ात महिला पुलिस को पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कार्योजन में कोई कठिनाई नहीं है।

10.00 प्रति ात महिला पुलिस कर्मियों के अनुसार कार्योजन के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती 15.00 प्रति ात पुलिस कर्मियों को कार्योजन के कारण घरेलू कार्यो के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है 06.00 प्रति ात महिला पुलिस का कहना है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कार्योजन की भूमिका ठीक ढंग से न निभा पाने से उन्हे उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अधिकां ा (78.00 प्रति ात) महिला पुलिस कर्मियों को कोई कठिनाई नहीं होती है।

महिला पुलिस कर्मियों को कार्योजन से आर्थिक सुदृढ़ता को परिवार स्वीकार करता है। आमदनी में वृद्धि के साथ भौतिक वस्तुओं का उपभोग बढ़ता जाता है, बच्चों के साथ पालन–पोशण पर अधिक खर्च किया जा सकता है। महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन से परिवार की प्रतिश्ठा बढ़ती है। यही कारण है कि महिला पुलिस कर्मियों को कार्योजन से अलग करने का निर्णय न पति लेता है और न महिला स्वयं लेती है। नई परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए परिवार का हर सदस्य महिला पुलिस कर्मियों की दोहरी भूमिका के निर्वाह में सहायक होता है।

यही तथ्य हमारी प्राकल्पना को सिद्ध करती है।

इस अध्याय में आंकड़ों के आधार पर महिला पुलिस कार्य और परिवार से किस प्रकार समायोजित है, इसका अध्ययन किया गया है। अधिकां ा महिला पुलिस अपने और अपने पति के सामाजिक–आर्थिक स्तर से संतुश्ट हैं, जो कार्योजित महिला पुलिस असतुश्ट हैं उनके पति कम आमदनी की नौकरी करते हैं। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मी अपने सास–ससुर से साधारण कार्यकारी सम्बन्ध रखती हैं। कुछ उनसे अलग हो चुकी हैं, ये सभी समायोजन के संरूप हैं। वैयक्तिक इतिहासों से इस निश्कर्श की पुश्टि होती है। हर आयु की, हर अनुभव वर्ग और पद की महिला पुलिस अपने सास–ससुर से साधारण सम्बन्ध रखती हैं। सास–ससुर यद्यपि कार्योजित महिलाओं की आलोचना करते रहते हैं, फिर भी कार्योजन में बाधक नहीं हैं। उनका सहयोग अनैच्छिक होते हुए भी महिला पलिस कर्मियों की भूमिका को समर्थन देता है, बच्चों की देखभाल सास–ससुर करते हैं और घर के प्रबन्ध में आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए भी सहयोग करते हैं मगर वह इस बात पर बल नहीं देते है कि बहू को नौकरी छोड़ देनी चाहिए।

वैवाहिक समायोजन के वि लेशण से पता चलता है कि अधिक उम्र की महिला पुलिस कर्मियों में कम उम्र की महिला पुलिस कर्मियों को, जो अधिक कार्य का अनुभव रखने वाली हैं, नौकरी के आखिरी भाग के वैवाहिक जीवन में कुछ असन्तुश्ट प्रतीत होती हैं। इसका कारण यह होता है कि वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों के साथ वे ऐसा

अनुभव करती हैं कि कार्योजन के कारण गृहस्थी में बाधा उत्पन्न होती है, परन्तु अधिकतर महिला पुलिस कर्मी सामान्य रूप से अपने जीवन से सन्तुश्ट हैं।

प्रतिदिन घरेलू कार्यो को करने की दृश्टि से अधिकां ा महिला पुलिस कर्मी प्रतिदिन खाना बनाना, कपड़े धोना, एवं बच्चों को पढ़ाती हैं और कभी–कभी खरीददारी भी करती है। बहुत कम संख्या उन महिला पुलिस कर्मियों की है जो ये सब कार्य नहीं करती हैं। अतः कार्य और परिवार में सामंजस्य हैं।

उपसंहार–

उपरोक्त सभी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कार्योजन से महिला पुलिस कर्मियों के पारिवारिक जीवन में कुसामंजस्य की स्थिति नहीं है। सास–ससुर और उनकी दूसरी भूमिका में अलोचनात्मक दृश्टिकोण रखते हुए भी समर्थन रखते हैं। उनका रागात्मक और वैवाहिक जीवन समायोजित है। इससे प्रतीत होता है कि पति का समर्थन प्राप्त है। उनकी रूचियां साधारण रूचियों के समान है। अधिकां ा महिला पुलिस कर्मी घरेलू कार्यो में प्रतिदिन भाग लेती हैं। कुछ असुविधाओं के बावजूद भी कार्य और परिवार में समायोजन से प्राप्त लाभ और सुरक्षा के प्रति सचेत है। बच्चे भी किसी न किसी प्रकार समायोजित हो जाते हैं। यद्यपि दोनो का मन खिन्न रहता है। जब घर की आमदनी बढ़ती है, समाजिक प्रतिश्ठा बढ़ती है तो परिवार कार्योजित महिला पुलिस कर्मियों को अपना समर्थन प्रदान करता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यदि महिला पुलिस

कर्मियों की भूमिका प्रस्थिति में परिवर्तन आता रहेगा तो वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए प्रकार्यात्मक सिद्ध होगा।

वर्तमान अनुसंधान के निश्कर्शों की पुश्टि भारतीय समाज वैज्ञानिक जगत की महिला समाज वैज्ञानिकों के विचारों से होती है। श्रीमती प्रमिला कपूर ने तथ्यगत अध्ययनों के आधार पर प्रमाणित किया है कि माता केवल गृहणी और माता की भूमिका तक सन्तुश्ट नहीं रहती हैं। स्त्री–पुरूश की दोहरी नैतिकता के मापदण्डों का विरोध ि ाक्षित स्त्रियों में बढ़ती जा रही है।

श्रीमती नीरा देसाई (1957) ने लिखा है कि परम्परागत पारिवारिक भाक्ति संरचना जाति और पुरूश प्रधान, धार्मिक कथाएं, स्त्री का भाोशण करती है। भारतीय महिलाओं की बहुसंख्या भयानक आर्थिक स्थिति में रहती है। उनका कहना है कि सम्पूर्ण सामाजिक निर्माण के लिए भारतीय स्त्रियों की आर्थिक द ाा सुधारना अनिवार्य है। भारत में महिला आन्दोलन के कुछ कार्यो का उल्लेख करते हुए श्रीमती नीरा देसाई ने लिखा है––

1. प्राचीन संस्थागत बोध और दमनकारी वैचारिकी को संगठित होकर समाप्त करना होगा।
2. ऐसी समाजिक, आर्थिक व्यवस्था के लिए निरन्तर संधर्श करना पड़ेगा जिससे स्त्रियों को रोजगार, कार्योजन की सुरक्षा और वेतन मिल सके।
3. आर्थिक मुक्ति प्राप्त करना नारी आन्दोलन की बुनियादी समस्या है।

श्रीमती नीरा देसाई ने आर्थिक रूप से दबी हुई भारतीय नारी के

ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख करते हुए "प्रतिक्रियावादी भाक्तियों पर नियन्त्रण रखने का सुझाव दिया है और नारी मुक्ति का मुख्य आधार आर्थिक स्वतन्त्रता को माना है। इसके लिए स्त्रियों को अपने संगठन एवं नेतृत्व को उत्पन्न करना पड़ेगा। स्त्रियों को बौद्धिक और वैचारिक लड़ाई भी लड़नी होगी।" तात्पर्य यह है कि भारतीय नारी की भूमिका और प्रस्थिति भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। वर्तमान अध्ययन में यह गवेशणा की गयी है कि कार्योजित महिला पुलिस किस प्रकार अपनी नई भूमिका में अपने पारिवारिक जीवन से सामंजस्य स्थापित कर रही हैं। महिला पुलिस कर्मियों के आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण विवाह एवं परिवार के संस्थागत स्वरूप ढीले पड़कर उसकी नई भूमिका प्रस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं।

✵✵✵✵✵